न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2017 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 02.11.2017
G.C.M.S. NO. :- 2017/00110

1–उदयलाल पिता किशोर जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी रूपा जी का खेड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–मांगीलाल पिता किशोर जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी रूपा जी का खेड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकारगण

बनाम

1–श्रीमति गमेरी बाई पुत्री किशोर जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी रूपा जी का खेड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत पोटला कलां जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पोटला कलां, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 44 दिनांक 05.06.2017 ग्राम पंचायत पोटला कलां, पंचायत समिति भदेसर

उपस्थिति : 1–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता निगराकारगण
2–श्री शिव नारायण जाट, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1

प्रकरण संख्या 37/2017 (नि.पं.)
उदयलाल पिता किशोर जाट निवासी रूपा जी का खेड़ा, तहसील भदेसर वगैरा बनाम श्रीमति गमेरी बाई पुत्री किशोर जाट निवासी रूपा जी का खेड़ा, तहसील भदेसर वगैरा

निर्णय

दिनांक 07.06.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत पोटला कलां, पंचायत समिति भदेसर द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 05.06.2017 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच–पड़ताल के विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आबादी हल्के भूमि साईज 2700 वर्ग फीट का भूखण्ड जारी किया जो निगराकारगण के कब्जे में होकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं अतः बिना जांच–पड़ताल जारी पट्टा विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत पोटला कलां द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 05.06.2017 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पोटला कलां ने पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख प्रस्तुत किया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिव नारायण जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, पोटला कलां ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने तथा अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत, पोटला कलां ने बिना जांच–पड़ताल किये विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में 2700 वर्गफीट का पट्टा जारी किया जिसके पड़ौस पूर्व मेंः– स्वयं का बाड़ा, पश्चिम मेंः– आम रास्ता, उत्तर मेंः– शंकर पिता छोगालाल का मकान एवं दक्षिण मेंः– रामेश्वर पिता उदा खारोल का मकान होना बताया। जबकि विपक्षीया स्व. किशोर जी की विवाहिता

पुत्री होकर अपने ससुराल मध्यप्रदेश में अपने पति के साथ सपरिवार निवासरत है तथा विपक्षीया का मध्यप्रदेश में अपना मकान अवस्थित है। विपक्षीया आबादी हल्का रूपा जी का खेड़ा में कभी भी निवासरत नहीं रही है विवादित गुवाड़ी जिसका पट्टा विपक्षीया ने जारी करवाया वह किशोर जी के जीवनकाल से निगराकारगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है जिसमें निगराकारगण सपरिवार निवासरत है निगराकारगण ने दिनांक 14.06.2017 को विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में आवेदन किया था जो विचाराधीन होते हुए उससे पूर्व बिना जांच–पड़ताल विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर अपने पक्ष में विवादित पट्टा जारी करा लिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। ऐसी स्थिति में बिना किसी कब्जे के विपक्षी संख्या 1 को पट्टा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 05.06.2017 निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत पोटला कलां द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 05.06.2017 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना कर जारी किया गया है विवादित गुवाडी/भूखण्ड गैर निगराकार संख्या 1 के आधिपत्य में होने से विधिवत आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाकर आपत्ति नोटिस जारी कर विधिवत् गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत पोटला कलां द्वारा जिस गुवाड़ी का पट्टा जारी किया है वह गैर निगराकार संख्या 1 के पिता किशोर ने गैर निगराकार संख्या 1 को बंटवाडे में गुवाडी दी थी तथा उक्त गुवाडी गैर निगराकार संख्या 1 के हिस्से में आने से उसका पट्टा जारी किया है। निगराकारगण जो कथन कर रहे हैं वह उनके हिस्से की अलग गुवाडी है फिर भी, गैर निगराकार संख्या 1 महिला होने से नाजायज फायदा उठाकर निगराकारगण उसका हिस्सा हड़पने की नियत से यह गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त मकान गैर निगराकार का पुश्तैनी मकान है क्योंकि गैर निगराकार, निगराकारगण की सगी जाईन्दा बहिन है तथा निगराकारगण उसका हिस्सा हड़पने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत

की है। गैर निगराकार संख्या 1 स्व. किशोर जी की पुत्री होकर बंटवाड़े में प्राप्त गुवाडी के आधार पर ग्राम पंचायत से कब्जे के आधार पर उक्त पट्टा प्राप्त किया है जो पूर्णतया विधि–सम्मत् है। निगराकारगण की निगरानी तथ्यों के विपरीत एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधिवक्ता निगराकारगण ने विवादित गुवाडी/भूखण्ड निगराकारगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित गुवाडी/भूखण्ड निगराकारगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होने के पुष्टि होती हो। साथ ही गैर निगराकार संख्या 1 के कभी भी रूपाजी का खेड़ा में निवासरत नहीं होने संबंधी कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि नहीं कराई है जबकि गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं फोटोग्राफ्स के अवलोकन से जिनके अन्तर्गत, गैर निगराकार संख्या 1 का आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड एवं बिजली के बिल की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि गैर निगराकार संख्या 1 ग्राम रूपाजी का खेड़ा में ही निवासरत है। गैर निगराकार संख्या 1 ने विवादित भूखण्ड पर अपने कब्जे की पुष्टि प्रमाण स्वरूप उक्त गुवाडी के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए है जिनके आधार पर भी प्रथम दृष्ट्या उसके ही विवादित गुवाडी/भूखण्ड पर निवास करने की पुष्टि होती है।

जहां अधिवक्ता निगराकार द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं करने, मौका निरीक्षण नहीं करने तथा आपत्तियों के संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं करने का कथन किया है वहां भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस न्यायालय में पेश अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत में गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा आवेदन करने पर ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल

कायम की है तीन पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है साथ ही आक्षेप आमंत्रित करने हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.05.2017 को आपत्तियों के संबंध में नोटिस/सार्वजनिक सूचना पत्र भी जारी किया है तथा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05.06.2017 को उक्त पट्टा जारी किया है।

निगराकारगण ने दिनांक 14.06.2017 को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का कथन किया है किन्तु अपने उक्त कथन की पुष्टि स्वरूप भी कोई आवेदन पत्र की छायाप्रति पेश नहीं की है जिससे इसकी पुष्टि होती हो। यदि यह मान भी लिया जावे की निगराकारगण द्वारा दिनांक 14.06.2017 को आवेदन पेश किया है फिर भी उनके आवेदन पेश करने से पूर्व ही दिनांक 05.06.2017 को ही गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी हो चुका है अतः निगराकारगण का उक्त कथन भी कि उनके आवेदन पत्र के विचाराधीन रहते हुए बिना जांच–पड़ताल के ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करा लिया मानने योग्य नहीं है।

निगराकारगण द्वारा केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर हम यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं मानते हैं। साथ ही निगराकारगण ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है तथा अपने विवादित गुवाडी/भूखण्ड पर कब्जे संबंधी कथन की भी पुष्टि नहीं कराई है जबकि गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं फोटोग्राफ्स् से उसके विवादित गुवाडी/भूखण्ड पर कब्जे की पुष्टि होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 05.06.2017 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)